

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलीय अधिकारी : देवेन्द्र कुमार अर्हण्ड

अपील संख्या 0 APS2012G270126213060 13/2026

अनिता कुमारी मीना, निवासी ग्राम पोस्ट गगवाना, तहसील महवा,
जिला दौसा राज0।

....अपी0

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, महवा।

रेसपो0

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 26.01.2026 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम)
महवा

निर्णय

दिनांक 13.03.2026

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपना नाम गगवाना की मतदाता सूची में जोड़ने संबंधी आवेदन पत्र (Ref. no.S20086V6N1501261200000) प्रस्तुत किया गया था। जिसको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा द्वारा नाम जोड़ने का आवेदन प्रारूप 6 को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलांट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा के ऊ आदेश दिनांक 26.01.2026 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील न्यायालय में पेश की गई है।

उक्त अपील के संबंध में तथ्यों से संबंधित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा से इस न्यायालय के पत्रांक 1615 दिनांक 12.03.2026 चाही गयी हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा के पत्रांक 422 दिनांक 13.03.2026 के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में बीएलओ द्वारा अपीलांट के आवेदन को निवास प्रमाण पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया जिसके आधार पर ईआओ व ईआओ द्वारा भी अस्वीकार किया गया।


पुनश्च: बीएलओ द्वारा अपीलांट का Ref. no.S2008G6N0603261200002 से पुनः नाम जोड़ने का आवेदन प्रारूप 6 ऑनलाईन किया गया। जिस पर सभी स्तरों से सत्यापित होने के उपरान्त ई-रोल अपडेट कर मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कर दिया गया है।



जिला कलेक्टर
दौसा


उपरोक्त रिपोर्ट के विवेचन के आधार पर अपीलांट का नाम जोड़ने का आवेदन प्रपत्र 6 जो कि बीएलओ द्वारा निवास प्रमाण पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने के कारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) महवा द्वारा अस्वीकार किया गया। चूंकि बीएलओ द्वारा अपीलांट की पहचान से संतुष्ट होने के उपरान्त अपीलांट का पुनः नाम जोड़ने का आवेदन प्रारूप 6 ऑनलाईन किया जाकर मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कर दिया गया है। अपीलांट का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाने के कारण अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख व निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।


 (देवेन्द्र कुमार)
 जिला कलेक्टर, दौसा
 दौसा

निर्णय आज दिनांक: 13.03.2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।




 (देवेन्द्र कुमार)
 जिला कलेक्टर, दौसा
 दौसा